भारत के जनजातीय क्षेत्रों की शासन प्रणाली व्यवस्था : नागालैंड राज्य विशेष का एक अवलोकन

डा0 संदीप कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर,

मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, उत्तर प्रदेश पर्यटन, विकल्पखंड, गोमतीनगर लखनऊ, उ0प्र0

सारांश

व्यापक वैश्विक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, अनेकों विकसित और विकासशील देशों नें 1980 और 1990 के दशक में लोक प्रशासन और शासन में नए दृष्टिकोण अपनाए। नव–लोक प्रबंधन आंदोलन के सिद्धांतों और विशेषताओं में उत्प्रेरक परिवर्तन, सामुदायिक सशक्तिकरण, प्रतिस्पर्धात्मक, मिशन संचालित, परिणाम उन्मुखीकरण, उद्यमशीलता, विकेन्द्रीकरण और बाजार उन्मुख शामिल थे। ये विशेषताएं 1990 के दशक के दौरान कई संघीय एजेंसियों और राज्य के साथ–साथ स्थानीय सरकारों के लिए सरकारी पुनर्मूल्यांकन के सिद्धांत बन गए। प्रभावी शासन का तात्पर्य लोकतान्त्रिक, पारदर्शी और भागीदारी कार्यों के माध्यम से निजी क्षेत्र और नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग और भागीदारी से है। 21 वीं सदी में सरकार की चार महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जिनके माध्यम से सरकारें सतत आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राप्त करने में योगदान दे सकती है। भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में अद्वितीय शासन प्रणाली है जो पारम्परिक संस्थागत संरचना और मूल्य प्रणाली के माध्यम से विकसित हुई है। नागालैंड में आदिवासी समाज एक तरफ शासन की पारम्परिक संस्थाओं के साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने में कामयाब रहे और दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिक लोकतंत्र के साथ एक स्थिर जुड़ाव बनाए रखा। राज्य बनने के बाद से लोकतान्त्रिक अनुभव और ग्राम विकास परिषदों तथा नागालैंड में सार्वजनिक संस्थाओं और सेवाओं के सामुदायिकरण जैसे अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से दोनों के बीच बनाए गए महत्वपूर्ण संबंधों ने लोकतान्त्रिक शासन का एक सहभागी मॉडल तैयार किया है। इस पृष्ठभूमि पर आधारित प्रस्तुत शोधपत्र नागालैंड में शासन प्रणाली के विकास की समीक्षा करने और आदिवासी क्षेत्रों में शासन की भूमिका पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से प्रलेखित स्रोतों के माध्यम से एकत्र किए गए द्वितीयक स्रोतों के आकड़ों और प्रासंगिक साहित्य पर आधारित है।

मुख्य शब्दः *लोक प्रशासन, शासन, पारम्परिक संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थाओं, लोकतान्त्रिक, विकेन्द्रीकरण, सामुदायिक सशक्तिकरण, सामुदायिकरण।*

प्रस्तावना

अनेकों प्रासंगिक तत्वों ने जनजातीय क्षेत्रों के शासन के अनुभव को प्रभावित किया है, जनजातीय प्रणालियों की विविधता इस अनुभव को अद्वितीय बनाती है। जनजातीय समाज एक तरफ शासन की पारंपरिक संस्थाओं के साथ अपने कार्यों को जारी रखने में कामयाब रहा, और दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिक लोकतंत्र के साथ एक स्थिर जुड़ाव बनाए रखा। नागालैंड में शासन की पारम्परिक संस्थाओं, राज्य बनने के बाद से लोकतान्त्रिक

अनुभव और ग्राम विकास बोर्ड तथा सार्वजनिक संस्थानों एवं सेवाओं के सामुदायिकरण जैसे अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से दोनों के मध्य बनाए गए महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर है ।

नागालैंड राज्य की शासन प्रणालियों का विकास

नागा पारंपरिक समाजः नागाओं का पारंपरिक जीवन गाँव के इर्द–गिर्द घूमता है। परिवार, कुल, खेल, और ग्राम ही नागाओं की सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। गाँव सर्वोच्च राजनीतिक इकाई है तथा संस्कृति की समानता और सुरक्षा के लिए एक व्यापक सामान्य ढांचा दिया तथा जनजाति के सदस्यों को एक साथ रखा। इस वजह से, ''गाँव–राज्य'' शब्द का प्रयोग अक्सर ग्रीक ''शहर–राज्य'' के विपरीत किया जाता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक व्यक्ति की पहचान उसके परिवार, कबीले, खेल और गाँव से अविभाज्य थी। परिवार, कबीले, खेल और ग्राम के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर व्यक्तिगत अधिकारों के बहिष्कार तक पर जोर दिया जाता था। जनजातियों की असामान्य प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए वेरिएर एलविन का कथन है कि ''नागा समाज में तानाशाही और चरम लोकतंत्र का एक अलग पैटर्न था''।

न्याय की भावना बहुत प्रखर थी। लेकिन न्याय को आत्म–सम्मान से संतुलित किया जाता था, न केवल स्वयं के बल्कि दूसरे पक्ष के भी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि दोषी व्यक्ति के आत्म–सम्मान को ठेस ना पहुंचे। लोकतंत्र का पालन करने वाली जनजातियों में विवादों को आमतौर पर मध्यस्थता द्वारा गाँव की बैठकों में सुलझाया जाता था। यदि संबंधित परिवार उन्हें सुलझाने में असमर्थ होते थे तब मध्यस्थ आमतौर पर विवाद के पक्षों के बीच मध्यस्थता करते थे, लेकिन यह तदर्थ अदालतें थीं, क्योंकि कोई नियमित न्यायिक अदालतें अस्तित्व में नहीं थी।

पारंपरिक संस्थाओं पर ब्रिटिश प्रभाव : 1832 में अंग्रेजों के आगमन ने नागाओं की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। अगले 50 वर्षों तक, नागा आदिवासियों नें 1880 में खोनोंमा गाँव के पतन तक अंग्रेजों के अधिकार का हिंसक और कटु विरोध किया। इसके बाद अंग्रेजों नें धीरे–धीरे नागा क्षेत्र के एक बड़े भू–भाग पर अपना प्रशासन स्थापित कर लिया। 1826 की संधि के माध्यम से नागा क्षेत्र का विभाजन तथा बाद में प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय पक्ष पर इसके प्रभाव ने वास्तव में विविध जनजातियों को एक साथ आने तथा एक साझा नागा पहचान बनाने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद की, क्योंकि नागाओं ने अपने सामूहिक अस्तित्व के लिए शीघ्रता से ऐसा करने की आवश्यकता महसूस की।

अंग्रेजों ने नागाओं के मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाई तदनुसार, उन्होंने नागा–आबादी वाले क्षेत्रों में इस नीति के अनुकूल प्रशासन का निर्माण किया। अंग्रेजों की यह विरासत भारत के स्वतंत्र होने और अपना संविधान अपनाने के बाद भी जारी रही। राज्य में प्रशासनिक संरचना, न्यायिक दृ कार्यकारी ढांचे से बनी थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर या उनके प्रतिनिधियों को शक्तियां दी गई थीं, जैसा कि नागालैंड में न्याय और पुलिस प्रशासन के नियम 1, 1937 में निहित है। प्रशासन ने बंगाल ईस्टर्न फरंटियर रेगुलेशन, 1873 के प्रावधानों का उपयोग करके राज्य के लोगों की जनजातीय और विशिष्ट पहचान की सुरक्षा और संरक्षण की नीति अपनाई। नागालैंड के अलग राज्य बनने के बाद बुनियादी प्रशासन, नियंत्रण तथा कानून और व्यवस्था के रखरखाव से राज्य के सर्वांगीण विकास लाने पर भी जोर दिया गया।

नागाओं का ग्रामीण आधारित पारंपरिक व्यवस्था से आधुनिक शहरी आधारित ढांचे में सामाजिक और सांस्कृतिक अनुकूलन, दृश्यमान

बाहरी संरचना से कहीं अधिक गहरा था। वर्ष 1963 नागालैंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। राज्य बनने के साथ ही आधुनिक लोकतान्त्रिक संस्थाओं और प्रथाओं की भी शुरुवात हुई। नागालैंड के विकास में इस महत्वपूर्ण कदम ने नागा लोगों को शांति, स्थिरता, त्वरित निवेश और आर्थिक विकास का अवसर दिया। नागा लोगों का आधुनिक लोकतंत्र के साथ बहुत ही अलग और जटिल रिश्ता रहा है। नागालैंड में पहला आम चुनाव जनवरी 1964 में हुआ था। कुल 46 सीटों में से 40 सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गईं और शेष छह सीटें तुएनसांग जिला क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी गईं। राज्य बनने के लगभग 40 वर्षों में नागालैंड नें 17 मुख्यमंत्री देखे। इन चालीस वर्षों के दौरान नियोजित विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार नें विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव किए हैं।

नागालैंड में वर्तमान प्रशासनिक ढांचा मूलतः देश के अन्य राज्यों के समान ही है और इसमें राज्य स्तर पर शासन की सचिवालय/निदेशालय संरचना शामिल है, जिसमें जिले विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और कानून–व्यवस्था के रखरखाव के लिए मुख्य इकाई है। हालांकि जिले में न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां अभी भी डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रयोग की जा सकती है, लेकिन कार्यकारी और न्यायपलिका को अलग करने की प्रक्रिया पहले से ही एक उन्नत चरण में है।

नागालैंड राज्य की विशिष्ठ विशेषताएं हैं, जो राज्य में शासन के अनुभव को अद्वितीयता प्रदान करती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) में प्रावधान है कि नागाओं की धार्मिक, सामाजिक और प्रथागत प्रथाओं और भूमि तथा उसके संसाधनों से संबंधित संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड में लागू नहीं होगा जब तक कि इसे राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। यह प्रावधान राज्य में नीति निर्माण का आधार बना हुआ है।

न्याय प्रदान करने और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के क्षेत्र में, प्रथागत कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में विशेष प्रावधान मौजूद हैं। प्रत्येक जनजाति के प्रथागत कानूनों की अपनी भिन्नता होती है यहाँ तक कि स्थानीय ग्रामीण के स्तर पर भी भिन्नताएं होती हैं। इन कानूनों को गाँव की परिषदों द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त गाँव बुरा और ग्राम के निर्वाचित/चयनित वरिष्ठ नागरिक शामिल होते हैं।

नई शासन प्रणालियाँ और उनका विस्तार क्षेत्र

पिछले दशकों में नागालैंड के सुदूर क्षेत्रों तक प्रशासनिक पहुँच का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है कई मायनों में सामान्य जनजाति भौगोलिक सीमाओं के साथ जिलों के संगठन ने पारंपरिक आदिवासी प्रथाओं और भाषायी संबद्धताओं की निरन्तरता प्रदान की हैं। राज्य सरकार के साथ साझेदारी में ग्राम परिषदें नागालैंड में आधुनिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जबकि जिला योजना और विकास बोर्ड जिले के विकास के लिए एक उत्तरदायी और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करते हैं, ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ग्राम विकास बोर्डों के माध्यम से जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित किए गए हैं। स्वतंत्रता और राज्य के युग के बाद शासन और निर्णय लेने के विकेंद्रीकरण के लिए ये संपर्क महत्वपूर्ण हो गए।

ग्रामीण शासन

ग्राम परिषदें:

आधुनिक लोकतंत्र की अब तक अज्ञात प्रणालियों के क्रमिक परिचय के कारण कमजोर हुई पारंपरिक ग्राम प्राधिकरण प्रणालियों के सम्मान को बहाल करने के लिए सरकार ने नागालैंड ग्राम और क्षेत्र परिषद अधिनियम, 1978 के माध्यम से पारंपरिक ग्राम निकायों को मान्यता देते हुए ग्राम परिषदों की शक्तियों और कार्यों को संहिताबद्ध किया। सम्पूर्ण राज्य लागू इस कानून में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैंः–

1. प्रत्येक मान्यता प्राप्त गांव में एक ग्राम परिषद होगी, ग्राम परिषद का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।
2. ग्राम परिषद के सदस्यों का चयन ग्रामीणों द्वारा प्रचलित प्रथागत प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा वंशानुगत ग्राम प्रधान, गाँवबरा और अंग मतदान के अधिकार के साथ पदेन सदस्य होंगे। ग्राम परिषद का सदस्य भारतीय होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
3. ग्राम परिषद के अध्यक्ष और सचिव का चयन सदस्यों में से किया जाएगा, सचिव के मामले में, वह व्यक्ति गैर–सदस्य भी हो सकता है। बशर्ते की ऐसी स्थिति में उसे मतदान का अधिकार ना हो।
4. ग्राम परिषद प्रत्येक तीन माह में एक बार अथवा एक–तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर अधिक बार बैठक करेगी।

विशेष शक्तियाँ : –

ग्राम परिषद के पास नागालैंड में स्थापित न्याय के सिद्धांतों द्वारा स्वीकार किए गए प्रथागत कानूनों और प्रथाओं के अनुसार गाँव की सीमाओं के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और न्याय करने के लिए विशेष अधिकार हैं। परिषदें नागालैंड में न्याय और पुलिस प्रशासन के नियम, 1937 के तहत सौंपी गई शक्तियों के अनुसार ग्राम न्यायालयों के रूप में कार्य करती हैं। गावों के बीच विवादों में, दो या अधिक ग्राम परिषदें संयुक्त सत्र में विवाद का निपटारा कर सकती हैं। इन प्रावधानों नें शासन को विकेंद्रीकृत करने और एक समान व्यवस्था स्थापित करने में मदद की है। परिवर्तन की शक्ति लोगों के हाथों में है।

नागालैंड ग्राम विकास मॉडलः ग्राम विकास बोर्ड

नागालैंड ग्राम एवं क्षेत्र परिषद अधिनियम, 1978 ने स्थनीय निकायों को विकास संबंधित जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए ग्राम परिषदों की पारंपरिक प्रशासनिक क्षमताओं का दोहन करने का भी प्रयास किया। अधिनियम ने ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने और गाँवों के विकास कार्यों को लागू करने के लिए ग्राम परिषदों को सशक्त बनाने वाले प्रावधानों को समेकित किया। ग्राम परिषद की इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ग्राम विकास बोर्डों के गठन को 1980 में अधिसूचित ग्राम विकास बोर्ड नियमों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था।

ग्राम विकास बोर्ड गाँव के लिए विकास प्रथमिकताएं तैयार करता हैं, कार्य योजनाएं तैयार करता है और उन्हें ग्राम के समुदाय या अन्य निधियों का उपयोग करके क्रियान्वित करता है। गाँव के सभी निवासी ग्राम विकास बोर्ड की आम सभा के सदस्य होते हैं। एक वित्तीय वर्ष में आम सभा की दो बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहां बोर्ड का सचिव विस्तृत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

उपायुक्त अपनी पदेन क्षमता में अपने–अपने जिलों में बी0डी0बी0 के अध्यक्ष होते हैं, बी0डी0बी0 का प्रबंधन ग्राम परिषद द्वारा चुनी गई समिति द्वारा किया जाता है और इसमें पारंपरिक नेता शामिल होते हैं। प्रबंधन समिति की अधिकतम कुल सदस्यता 25 निर्धारित है, लेकिन यह पाँच से कम नहीं होनी चाहिए। पच्चीस प्रतिशत सदस्यता महिलाओं के लिए आरक्षित है।

प्रबंधन समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित है।

बी0डी0बी0 नागालैंड में विकेंद्रीकृत नियोजन और विकास की आधारशिला बन गए हैं। कई स्थानों पर बी0डी0बी0 का प्रदर्शन अनुकरणीय रहा है जो आय सृजन गतिविधि के रूप में और गाँव के साथ संपर्क को सुविधाजनक बनाने के रूप में काम करता है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बी0डी0बी0 द्वारा आन्तरिक संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित कर रही है, इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बी0डी0बी0 सामूहिक रूप से विकसित हुए हैं।

नागालैंड राज्य की कुछ पारंपरिक संस्थाएं जो सामाजिक शासन के मानकीकृत ढांचे को प्रभावित करते रहते हैं निम्नलिखित हैं:–

1. ग्राम परिषद (विलेज काउंसिल)
2. खेल
3. मोरुंग
4. जनजातीय न्यायालय (ट्राइबल कोर्ट)

शहरी शासन

नागालैंड में शहरी विकास एक अपेक्षाकृत नवीन घटना है, नागालैंड में शहरों का विकास मुख्य रूप से नए प्रशासनिक मुख्यालयों की स्थापना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार नें अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए अधिक जिले और उपविभाग बनाए हैं।

जनगणना के आँकड़े बताते हैं कि नागालैंड राज्य की 17.74 प्रतिशत आबादी नौ शहरी केंद्रों में रहती है। हालांकि, इस आँकड़े में 10 अन्य शहरों की आबादी शामिल नहीं है, जिन्हें पिछली जनगणना में शहरी केंद्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, लेकिन जिन्हें सरकार द्वारा नगर परिषद क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। नागालैंड में शहरी कस्बों के विकास का स्थानिक पैटर्न बेहद विषम रहा है।

ग्रामीण शासन व्यवस्था के विपरीत, कस्बों में पारंपरिक प्रशासनिक संरचनाओं का अभाव रहा है। विगत कुछ वर्षों में आठ जिलों के जिला मुख्यालय कस्बों और शहर में अन्य सरकारी संगठनों के अलावा शहरी शासन की देखभाल के लिए नागा हिल्स नियम (नगर समितियों का गठन), 1954 के तहत नगर समितियों की स्थापना हुई। नौ शहरी केंद्रों में ये निर्वाचित नगर समितियाँ सीमित शक्तियों और वित्त के कारण विविध शहरी मुद्दों की भयावहता को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में असमर्थ रही हैं। योजना और वित्त के मामले में शहरों में सरकार की ओर से पर्याप्त निवेश की अनुपस्थिति के कारण शहरी सुविधाओं में भी गिरावट आई है। नतीजतन, राज्य मुख्य शहरी केंद्रों के बेतरतीब विकास, यातायात की भीड़, प्रदूषण, पानी और स्वच्छता सुविधाओं की अपर्याप्तता, सीवरेज प्रणाली, जल निकासी और ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन से संबंधित गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है।

इन मुद्दों को तरीके से हल करने के लिए, शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 को अधिनियमित किया गया है। जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि के स्तर पर आधारित मानदंडों के आधार पर राज्य के शहरी केंद्रों में शहरी स्थानीय निकायों की तीन श्रेणियाँ होंगी, अर्थात तीन नगर पालिका परिषदें, 16 नगर परिषदें और शहरी समितियाँ। सरकार प्रमुख शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में है और शहरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार और बहुपक्षीय एजेंसी के वित्तपोषण का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

सामाजिक पूंजी का निर्माण

समकालीन नागा समाज को विरासत में मिली एक बड़ी ताकत 'सामाजिक पूंजी' है जो पारंपरिक संस्थाओं और प्रयासों से उपजी है, यहाँ मजबूत सामाजिक बंधन और समुदायिक भावना है, और जाति–सामाजिक भेदभाव का अभाव है। ग्राम परिषदों और ग्राम विकास बोर्डों जैसी स्थापित और सशक्त स्थानीय शासन संस्थाएं, एक मजबूत धार्मिक बंधन और सक्रिय आदिवासी, युवा और महिला निकाय राज्य के शासन अनुभव को समृद्ध करते हैं। सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सामुदायिकरण की अनूठी पहल शासन में समुदाय की भूमिका को और मजबूत करती हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने नागालैंड राज्य की अपनी यात्रा के दौरान नागरिक समाज की ताकत को स्वीकार किया।

स्वैच्छिक संगठन

नागा मदर्स एसोसिएशन, नागा होहो, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन और राज्य तथा जिला स्तर पर कई आदिवासी छात्र तथा अन्य संगठन जनहित में काम कर रहे हैं, तथा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और कई बार शासन में सहायता भी कर रहे हैं। इन स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी नें राज्य के प्रशासन को अधिक लोकतान्त्रिक तथा पारदर्शी बनाया है। विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों तथा एन.जी.ओ. क्षेत्र का विकास हाल ही में हुआ है।

साम्यीकरण

1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद से नागालैंड में सार्वजनिक संस्थाओं और सुविधाओं का विस्तार हुआ है। लगभग हर गाँव में प्राथमिक शिक्षा और जल आपूर्ति तथा बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास है। इनमें से कई संस्थाओं का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी कम रहा है। राज्य सरकार नें इन सार्वजनिक संस्थाओं और सेवाओं के सामुदायिकरण की अनूठी अवधारणा शुरू की है जिससे कि समुदाय को प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ सौंपकर सरकार और लोगों के बीच साझेदारी बनाई जा सके जिससे सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रदर्शन में सुधार हो सके। सामुदायिकरण प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :–

1. सामुदायिक संस्थाओं का स्वामित्व और प्रबंधन करने के लिए समुदाय की एक प्रातिनिधि समिति।
2. समुदाय की जिम्मेदारियों में कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच, मरम्मत और रखरखाव कार्य, पुस्तकों/दवाओं की खरीद, कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार से धन प्राप्त करना आदि शामिल हैं। 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को लागू करने के बाद ही इसे वितरित किया जाएगा।
3. समिति को अंशदान प्राप्त करने और शुल्क वसूलने का अधिकार है।
4. समिति रजिस्टर और लेखा बनाए रखेगी। विभागीय अधिकारी इनका निरीक्षण करेंगे और वार्षिक ऑडिट भी करेंगे।
5. सरकार द्वारा समिति को निर्देश जारी करने तथा गंभीर चूक की स्थिति में समिति के निर्णय को रद्द करने का अधिकार है।

नागालैंड सार्वजनिक संस्थाओं और सेवाओं के सामुदायिकरण अधिनियम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण पर्यटन, सड़क, वन, स्वच्छता तथा ग्रामीण बाल देखभाल आदि जैसे क्षेत्रों में विकास और कल्याण कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी का दायरा बढ़ा दिया हैं।

 ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

सामान्य प्रशासन

परिवर्तन की शुरुआत :

शांति बनाए रखने और विकास को समर्थन देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शासन के उभरने से समाजव्यापी संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिला है। नागालैंड में सरकारी कर्मचारियों और नागरिक आबादी के बीच अनुपात देश में सबसे अधिक है। ऐसे संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज की जरूरतों को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने और नौकरशाही को लोगों की जरूरतों और विकास की अनिवार्यता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए इतने बड़े मानव पूंजी आधार का उपयोग कैसे किया जाए।

राज्य सरकार नें अपनी शासन प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने तथा अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई पहल किए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों का विवरण निम्नलिखित हैः–

1. विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा भविष्य के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सभी विभागों में विजन समूह स्थापित किए गए हैं।
2. प्रत्येक माह की 20 तारीख को सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक होती है जिसमें सरकार के शासन तंत्र में सुधार के लिए उनके संयुक्त ज्ञान और अनुभव को एक मंच पर लाया जाता है।
3. सभी सरकारी विभाग महीने के पहले बुधवार को' स्वच्छ और साफ दिन' के रूप में मनाते हैं। सरकार के सभी अधिकारियों से चाहे वे किसी भी पद पर हों, यह अपेक्षा की जाति है कि वे इस दिन का उपयोग सभी लंबित फाइलों को निपटाने में करें जिससे कि महीने का बाकी समय नए मुद्दों को निपटाने में लगाया जा सके।
4. विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लोगों की जानकारी हेतु मीडिया के माध्यम से प्रचार– प्रसार किया जाता है।
5. ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग तथा नागालैंड पुलिस विभागों के लिए नागरिक चार्टर तैयार किए गए हैं। चार्टर का मुख्य उद्देश्य विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों तथा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
6. नागालैंड देश के उन पहले राज्यों में से एक है जिसने प्रशासनिक तबादलों और नियुक्तियों को तर्कसंगत बनाने के लिए सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना की है। पुलिस अधिकारियों के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड भी गठित किया गया।
7. सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिससे कि उनका कौशल उन्नयन किया जा सके और उनकी क्षमता का निर्माण के साथ साथ विस्तार भी किया जा सके।
8. राज्य में सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठित की गई है।

शासन और विकास

शासन में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर राज्य और नागरिक समाज संस्थाओं का प्रभाव शामिल है, जिससे कि व्यक्तियों, समाज और राष्ट्रों के विकास के उद्देश्य से अवसरों को प्रदान किया जा सके। नागालैंड राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिए सरकार और पारंपरिक संस्थानों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

देश के अन्य भागों की तुलना में, नागालैंड राज्य में विकास की योजनाबद्ध प्रक्रिया विलम्ब से प्रारंभ हुई है। इसके बावजूद 1963 में राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात योजनाबद्ध सामाजिक– आर्थिक विकास में तीव्र प्रगति हुई। भौतिक आधारभूत संरचना के विकास और साक्षरता अवसर, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दर से निपटने जैसे विकास संकेतकों में सुधार सराहनीय कदम है। नौवीं पंचवर्षीय योजना तक राज्य की मूल रणनीति और दृष्टिकोण यह थी कि राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए लोगों की बुनियादी ढांचागत जरुरतें जैसे सड़क, जलापूर्ति, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सेवायें आदि पूरी तरह से लागू है। जहां बुनियादी ढांचे के विकास की तेज गति तय करने की नीव रखी है, वहीं जरूरतों और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बीच बेमेल, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी और दक्षता में सुधार की जरूरत नें दिशा में बदलाव को जरूरी बना दिया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके पिछले वर्षों में हासिल लाभों को मजबूत करना था। जिसका लक्ष्य दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। राज्य सरकार ने सभी सेवाओं और संसाधनों के प्रदाता के बजाए सुविधादाता की जिम्मेदारी संभाली है। विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए लोगों, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी एजेंसियों की भागीदारी पर जोर देने के लिए राज्य के उच्च स्तर के नेतृत्व और दूरदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। चूंकि नागालैंड लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद और सुदूर क्षेत्रों की बेड़ियों से मुक्त होकर शांति का लाभ उठाने तथा राज्य को भारतीय संघ के राज्यों में अग्रणी बनाने की ओर अग्रसर है, इसलिए दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों से प्रेरणा ली जा सकती है, जिन्होंने इन सिद्धांतों का पालन करके पिछले दो दशकों के दौरान तीव्र और समान विकास हासिल किया है।

मूल्यवान सुझाव और अनुशंसाएं

समस्त क्षेत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सरकार नें शासन में एक व्यापक भूमिका निभाई है, यह स्थिति मुख्य रूप से ऐतिहासिक कारकों और घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई है। नागालैंड के संदर्भ में प्रमुख निवेश सरकार द्वारा किया गया है। विकास प्रक्रिया पर सरकार का प्रभाव सर्वव्यापी रहा है और यह लगभग बराबर है। शत–प्रतिशत शांति की शुरुवात के साथ सरकार समुदाय की समृद्ध सामाजिक पूंजी का दोहन करने के लिए अभिनव प्रयास कर रही है, जिससे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को यथासंभव गावों में वापस लाया जा सके और नागरिक समाज को राज्य के शासन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस प्रकार ग्राम परिषदों, ग्राम विकास बोर्डों और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि के क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के सामुदायिकरण के साथ सरकार धीरे–धीरे खुद को सुविधाकर्ता और सक्षमकर्ता की भूमिका के लिए आरक्षित कर रही है। इसके साथ विकास की "ट्रिकल डाउन" अवधारणा को प्रभावी रूप से त्याग दिया गया है, लोगों और समुदाय को अब विकास के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि परिवर्तन के आरंभकर्ता के रूप में देखा जाता। कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने की आकांक्षा की जा सकती है, निम्नलिखित हैं:–

1. शासन की लोकतान्त्रिक संस्थाओं में लोगों और समुदाय की व्यापक भागीदारी के माध्यम से लोगों और शासन प्रणालियों के बीच की दूरी और बाधाओं को दूर करना, जिससे कि स्वामित्व की भावना को सक्षम किया जा सके।

ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

2. शासन में सुधार के साधन के रूप में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, नागरिक समाज और पेशेवर निकायों की संस्थाओं को बढ़ावा देना।
3. बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के न्याय संगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी क्षेत्र विकास इंजन के रूप में कार्य करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों के सतत् दोहन की क्षमता की उपेक्षा न की जाए।
4. सेवा वितरण में निजी भागीदारी की संभावनाएं तलाशना।
5. ई–गर्वनेन्स को प्रोत्साहित करके शासनतंत्र को बेहतर बनाने और तेज आर्थिक विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना।
6. संसाधन आधार का विस्तार करने के तरीकों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय की निगरानी जारी रखना।
7. सामुदायिकरण पहल को अन्य क्षेत्रों और सेवाओं तक विस्तारित करना, इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के स्तर को जमीनी स्तर से लेकर उच्चतम निर्णय लेने के स्तर तक लाना होना चाहिए, जिससे कि एक आदर्श लोकतान्त्रिक समाज की संभावनाओं को साकार किया जा सके।
8. विकास प्रक्रिया में समुदाय और गैर सरकारी निकायों के हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाना।
9. भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा सरकार की कार्य संस्कृति में सुधार करना।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वार्षिक रिपोर्ट, आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 1951-52, नई दिल्ली : राजकीय मुद्रण कार्यालय,1953
2. Anand, V.K. 1967, Nagaland in Transition, New Delhi: The Associated Press
3. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, 2001–2002, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ रिसोर्सेज एण्ड स्पोर्ट्स, कोहिमा, 2002.
4. भारत का संविधान
5. जनगणना–2001, भारत सरकार
6. The Nagaland Village and Area Council Act, 1978.
7. Village Development Boards Model Rules, 1980.
8. The Nagaland Communitisation of Public Institutions and Services Act, 2002.
9. चौबे, एस.के. 1999, हिल पॉलिटिक्स इन नॉर्थईस्ट इंडिया, न्यू दिल्ली, ओरिएंट न्यूमैन.
10. Constituent Assembly Debates: I,3, Official Report.
11. Proceedings of Nagaland State Assembly.
12. Vision Nagaland: Towards Positive Changes, 2002
13. M. Channa (eds), Tribes and Government Policies. New Delhi: Cosmo Publications.
14. Jacoba, Juliana, The Nagas-Hill People of North East India, 1990.
15. Ao, Alemchiba, A Brief Historical Account of Nagaland, Kohima, 1970.

Copyright © 2014, Dr. Sandeep Kumar. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.